

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो 2. प्रथम नियुक्ति दिनांक / वर्तमान धारित पद 3. जन्मतिथि 4. वर्तमान वेतन अगली वेतन वृद्धि की तारीख 5. 7/2018

1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम+पोस्ट रेकबाड थाना-कुंजरिया बेह-डिंडोरी जिला-डिंडोरी (मध्य)	प्लॉट मकान 2000 वर्ग फीट	प्लॉट अमीन 06 एकड़	जाल नहीं				

हस्ताक्षर.....
 नाम.....
 पद.....
 विभाग.....

- 1 जहाँ लागू न हो उसे काट दीजिए
- 2 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- 3 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण)नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माह की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके टपने नाम पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

(मध्य)